

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुर)

नन्दलाल पिता सुरजमल भीणा निवासी-खेराडिया, माताजी का खेड़ा, तहसील-जहाजपुर

बन्नाम

भंवर सिंह पिता देबी सिंह राजपूत निवासी-कुराडिया, तहसील-जहाजपुर, वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 114, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 325/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
13/05/24	<p>प्रार्थना पत्र सिने से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की ग्राम उथरण, प.ह. बैई तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 2293/1811 कुल कितता 1 रकबा 0.0405 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्इद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 आले. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम खेराडिया, प.ह. कुशा, तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 2293/1811 कुल कितता 1 रकबा 0.0405 हैक्टयर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/-रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनलया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक /सीडर /2024/325/2024

दिनांक :- 13 / 05 / 2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं. 325 / 24 अनवान नन्दलाल पिता सुरजमल भीणा निवासी-खराडिया, माताजी का खेड़ा, तहसील-जहाजपुर बनाम भंवर सिंह पिता देवी सिंह राजपूत निवासी-कुराडिया, तहसील-जहाजपुर, रामसिंह पिता कजोड़ सिंह राजपूत निवासी-कुराडिया, तहसील-जहाजपुर, की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्रामरक्षक ^{भातजा काँडा} प.ड. कुराडिया तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 2293 / 1811 कुल किता 1 रकबा 0.0405 हेक्टर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर पीस 1500 / -रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)